बिहार सरकार
<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</u>

मार्गदर्शिका

"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना"

राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 द्वारा "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

वर्त्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 104 एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 07 अर्थात कुल 111 छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों की आवासन क्षमता लगभग 5500 है। विगत वर्षो में 23 नये छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। संचालित एवं निर्माणाधीन छात्रावासों के पूर्ण होने पर आवासन की क्षमता 9,100 हो जाएगी।

वर्त्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबल–कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में छात्र/छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने एवं समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जाना है।

विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 एवं पत्रांक–6298 दिनांक–21.12.2016 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निदेश निर्गत हैं।

2. <u>छात्रावास अनुदान के लिये अहर्त्ता :–</u>

   (i) बिहार राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्रा हों।

   (ii) विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 एवं पत्रांक–6298 दिनांक–21.12.2016 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में नामांकित एवं आवासित हों।

   (iii) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।

   (iv) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो।

3. <u>भुगतान की प्रक्रिया :–</u>

   (i) संबंधित छात्रावास के स्वीकृत बल के आलोक में छात्र/छात्राओं की सूची एवं संबंधित सूचना छात्रावास अधीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल पर upload/online की जाएगी।

   (ii) छात्रावास अधीक्षक द्वारा की गयी प्रविष्टि का सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा online software के माध्यम से किया जाएगा एवं लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची अंतिम रूप से अनुमोदित की जाएगी।

   (iii) जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से अनुमोदित सूची के आधार पर निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम,

2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016} के तहत एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होनेवाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण किया जाएगा।

(iv) अभ्यर्थियों के खाते में राशि अंतरित करने हेतु विभाग के स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता संधारित किया जाएगा।

4. **अनुश्रवण की व्यवस्था :–**

(i) जिला स्तर पर छात्रावास संचालन समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी।

(ii) जिला स्तरीय संचालन समिति लाभार्थियों की त्रुटिरहित चयन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी/छात्रावास अधीक्षक को निदेशित किया जाएगा।

(iii) प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण अपने प्रमण्डल अन्तर्गत जिला में संचालित इस योजना का प्रत्येक माह में अनुश्रवण करेंगे तथा योजना के संचालन में उत्पन्न किसी भी तरह की कठिनाई के निराकरण हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे।

(iv) प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण प्रत्येक माह योजना के संचालन से सम्बन्धित अनुश्रवण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

5. **आंकड़ों का संधारण :–**

जिला कल्याण पदाधिकारी छात्रावास अनुदान की राशि का वित्तीय एवं भौतिक आंकड़ा के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। निदेशालय स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आंकड़ों को संधारित किया जाएगा।

6. **अन्य :–**

समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं।

20.7.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्रवृत्ति)200–26/2018–1750 पटना, दिनांक– 20/7/2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(छात्रवृत्ति)200–26/2018–1750 पटना, दिनांक– 20/7/2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—5 / निदे0(छात्रवृत्ति)200—26 / 2018—1490 पटना, दिनांक—20/7/2018

प्रतिलिपिः— सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—5 / निदे0(छात्रवृत्ति)200—26 / 2018—1490 पटना, दिनांक—20/7/2018

प्रतिलिपिः—सभी विभागीय पदाधिकारियों / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—5 / निदे0(छात्रवृत्ति)200—26 / 2018—1490 पटना, दिनांक—20/7/2018

प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—5 / निदे0(छात्रवृत्ति)200—26 / 2018—1490 पटना, दिनांक—20/7/2018

प्रतिलिपिः— राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (NIC), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—5 / निदे0(छात्रवृत्ति)200—26 / 2018— 1490 पटना, दिनांक—20/7/2018

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.7.18

सरकार के सचिव।